मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-9/99/3/एक भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :—विभागीय जांच के शीघ्र निपटारे हेतु सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में मापदण्ड.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी/6-2/97/3/एक, दिनांक 10-3-97 तथा ज्ञाप क्रमांक सी/6-6/97/3/एक, दिनांक 4-6-97.

संदर्भित ज्ञाप दिनांक 4-6-1997 में दी गयी समय-सारिणी के अनुसार विभागीय जांच का निपटारा करना प्रत्येक विभाग एवं संबंधित सक्षम अधिकारी का दायित्व है. राज्य शासन की यह अपेक्षा भी है कि प्रत्येक विभाग में जहां विभागीय जांच अधिक मात्रा में लंबित है वहां पर विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं निचले स्तर पर किसी सक्षम अधिकारी को विभागीय जांच अधिकारी नामजद किया जावे. यथासंभव उसे अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा जावे जिससे कि वह विभागीय जांच के लिये अधिक समय दे सके. ऐसी उम्मीद है कि विभिन्न विभागीय द्वारा उक्त प्रक्रिया अपनायी जा रही होगी परन्तु अधिकांश विभागों में विभागीय जांचों का निपटारा समय पर नहीं हो रहा है. राज्य शासन के निर्देश हैं कि विभागीय जांच का निपटारा छः माह से एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिये. उसी तारतम्य में विभागीय जांच को समय-सीमा में निपटारे के लिये सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है. विभागीय जांच के शीघ्र निपटारे हेतु सेवानिवृत्ति शासकीय सेवकों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:—

(1) विभागीय जांच के निराकरण के लिये वह विभाग सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवाओं को ले सकेगा जिसमें विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का अनुपात विभाग में पदस्थ अधिकारियों की संख्या के तीन गुना से अधिक हो. अर्थात् शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर अथवा संभाग/जिला कार्यालय प्रमुख स्तर पर जहां विभागीय जांच करने हेतु अधिकारी उपलब्ध हैं एवं ऐसे उपलब्ध अधिकारियों के तीन गुने से अधिक विभागीय जांच के प्रकरणों की संख्या उस कार्यालय में लंबित हैं, वहां सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का इस कार्य के लिये लिया जा सकेगा परन्तु विभागीय जांच की ऐसी न्यूनतम संख्या उक्त तीन गुना प्रकरणों की संख्य से 20 से अधिक होनी चाहिए. विभागीय सचिव उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जिस कार्यालय के लिये आवश्यक हो, वहां विभागीय जांच के लिये सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवायें लेने के लिये सक्षम होगा.

(2) विभागीय जांच के निराकरण के लिये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक का चयन करने के लिये संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सक्षम होंगे. विभाग स्तर पर एक चयन समिति, योग्य सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगी. इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अ.	संबंधित के प्रमुख सचिव/सचिव	. . .	अध्यक्ष
ब.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	. .	सदस्य
स.	सामान्य प्रशासन विभाग के अपर या उप सचिव	. .	सदस्य
द.	संबंधित विभाग के उप/अवर सचिव	. .	संयोजक

(3) जिस सेवा निवृत्त अधिकारी का पेनल में चयन किया जाना है उसकी पात्रता में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे:—

1. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी कम से कम प्रथम श्रेणी (रु. 3000-4500 पुराना वेतनमान) पद पर सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हों.

2. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु पेनल में चयन करते समय 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

3. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य शासन के अधीन या किसी सार्वजनिक संस्थान में अथवा किसी निजी संस्थान में कोई कार्य नहीं कर रहा हो.

4. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय पिछले 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली सामान्यतः अच्छे स्तर की या ऊपर हो.

5. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्ति के समय पूर्व के 5 वर्षों में कभी दण्डित नहीं हुआ हो.

6. पेनल में चयन के समय ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी की स्वास्थ्य समिति की दृष्टि में कार्य करने योग्य होना चाहिये.

7. प्रशासनिक क्षेत्र के या लंबे समय तक स्थापना कार्य देखने वाले अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्राथमिकता दी जा सकेगी.

(4) विभागीय जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी को मानदेय प्रदान करने की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

1. प्रथम श्रेणी अधिकारी की विभागीय जांच के लिये रु. 1000/- प्रति प्रकरण.

2. द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) अधिकारी की जांच के लिये 750/- प्रति प्रकरण.

3. तृतीय श्रेणी (अकार्यपालन) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जांच के लिये रुपये 500/- प्रति प्रकरण.

जांच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्राप्त होने तथा जांच प्रतिवेदन पूर्ण पाये जाने के पश्चात् संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी को उस प्रकरण का भुगतान किया जायेगा. संयुक्त विभागीय जांच में जहां एक से अधिक आरोपी होंगे, वहां प्रत्येक आरोपी के लिये 25 प्रतिशत की दर से अधिक भुगतान किया जा सकेगा परन्तु ऐसी संयुक्त विभागीय जांच में अधिकतम दुगुनी राशि से अधिक भुगतान नहीं होगा.

(5) ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी उन्हीं प्रकरणों में विभागीय जांच अधिकारी बन सकेगा जिससे पहले वह कभी संबंधित न रहा हो. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्ति के समकक्ष पद या उससे ऊपर वाले पद के अधिकारी की विभागीय जांच नहीं कर सकेगा. सामान्यतः विभागीय जांच निम्नानुसार सौंपी जा सकेगी:—

1. प्रथम श्रेणी अधिकारी की विभागीय जांच के लिये अपर संचालक या उससे ऊपर श्रेणी का सेवानिवृत्त अधिकारी.

2. द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) अधिकारी की जांच के लिये संयुक्त संचालक या उससे ऊपर की श्रेणी का सेवानिवृत्त अधिकारी.

3. तृतीय श्रेणी (अकार्यपालन) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जांच के लिये उप संचालक या उससे ऊपर का सेवानिवृत्त अधिकारी.

6. ऐसे चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का पदनाम "विभागीय जांच अधिकारी" होगा. विभागीय जांच छः माह में पूर्ण की जायेगी. यदि किसी कारणवश समय में वृद्धि की जाना हो तो पहली बार में 3 माह तथा दूसरी बार में अधिकतम 3 माह के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा समयावधि में वृद्धि की जा सकेगी. परन्तु एक वर्ष के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा. प्रति अधिकारी एक बार में 20 प्रकरण

जांच के लिये सौंपे जावेंगे. जितने प्रकरणों में प्रतिवेदन पूर्ण हो जाय उतनी संख्या में नयी विभागीय जांच दी जा सकेगी, परन्तु एक बार में कम से कम 5 अतिरिक्त प्रकरण जांच हेतु सौंपना चाहिये.

7. उपरोक्तानुसार चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को विभागीय जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये संबंधित कार्यालय में बैठने की सुविधा दी जायेगी. उसे संबंधित कार्यालय द्वारा एक स्टेनो टायपिस्ट या टायपिस्ट भी उपलब्ध कराया जायेगा, जो विभागीय जांच का रिकार्ड भी रखेगा तथा लिखा-पढ़ी/टायपिंग कार्य में सहयोग भी देगा. परन्तु यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित कार्यालय में स्टाफ न होने के कारण संबंधित विभागीय जांच अधिकारी को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी तब प्रत्येक प्रकरण पर नियत राशि की 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि ऐसे विभागीय जांच अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी. विभागीय जांच अधिकारी इस राशि से अपने सहयोग के लिये समुचित व्यवस्था कर सकेगा.

(8) विभागीय जांच के लिये चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को कार्य के मान से कम से कम 6 माह या एक वर्ष के लिये जैसी सुविधा हो, रखा जा सकेगा. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी स्वयं भी लिखित सूचना देकर कार्य से पृथक् हो सकेगा, परन्तु उसे एक सप्ताह के भीतर रिकार्ड सक्षम अधिकारी को सौपना होगा.

(9) ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी विभागीय जांच अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के 12 खण्ड के "ए" के अनुसार "लोक सेवक" ही माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-9/99/3/1, भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1999

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.

3. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.

4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

6. रजिस्ट्रार /म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.

7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर.

8. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

9. अवर सचिव, स्थापना, अधीक्षण, अभिलेख शाखा, मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय

10. श्री वीरेन्द्र खोंगल, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.

11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.

12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण. शाखा-15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.